मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 4823 भोपाल, दिनांक 20 / 12 /2007

प्रति,

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
एवं कलेक्टर
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
3. कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
जिला – श्योपुर, छतरपुर, मंडला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगोन, सिवनी, डिण्डोरी, टीकमगढ़, खण्डवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधी, उमरिया, गुना अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (म.प्र.)

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश, के अन्तर्गत लघु सिंचाई तालाबों एवं माइनर नहरों के रखरखाव कार्यों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

1.0 पृष्ठभूमि :

ग्रामीणों की पानी की आवश्यताओं की पूर्ति हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में बड़ी संख्या में तालाब व नहरों का निर्माण किया गया है। यह देखा गया है कि रखरखाव के अभाव में कई तालाब अनुपयोगी हो गये है तथा क्षेत्र में जल भंडारण संरचना उपलब्ध होने के बावजूद भी ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। इसी प्रकार नहरों के रखरखाव के अभाव में भी कई किसानों के खेतों तक सिंचाई जल नहीं पहुंच पाता है। परिणाम स्वरूप निर्माण कार्यों मे एक बड़ी धनराशि निवेश किये जाने के बावजूद भी ये संरचनाऐं उपयोगी नहीं रह पाती है व वांछित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इन संरचनाओं की उपयोगिता लम्बे समय तक बनाये रखने के लिये इनका समुचित एवं नियमित रखरखाव आवश्यक है। समय पर उचित रखरखाव द्वारा संग्रहीत पानी के अनावश्यक अपव्यय को रोकते हुए तालाबों मे पानी नहर का पानी कोलाबे से किसान के खेत तक प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध रूप से पहुंचाया जाकर पानी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यह देखा गया है कि रखरखाव कार्यो के लिये सामान्यतः नान प्लान मद में धनराशि उपलब्ध की जाना सम्भव नहीं होता है अतः इन कार्यों हेतु राशि की व्यवस्था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना– म.प्र. में निहित प्रावधानों के अनुसार, की जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में प्रदेश के 31 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश क्रियान्वित की जा रही है, तथा अप्रैल, 2008 से प्रदेश के समस्त जिले इस योजना में सम्मिलित

किये जायेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी क्रियान्वयन मार्गदर्शिका (Operational Guidelines-2006) **के अध्याय 5 की कँण्डिका 5.1.3 में निहित निर्देशों के अनुसार अनुसूची–1 में उल्लेखित कार्यों का रख–रखाब भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत क्रियान्वित किया जावेगा। तदनुसार राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के साथ ही अनुसूची–1 में निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों के रख–रखाब कार्य भी इस योजना में लिये जा सकेंगे चाहे वे अन्य किसी योजना के तहत ही क्यों न निर्मित की गई हों।**

कँण्डिका 5.1.3 में अक्षरशः निम्नानुसार प्रावधानित है :–

"The maintenance of assets created under the Scheme (including protection of afforested land) will be considered as permissible work under NREGA. The same applies to the maintenance of assets created under other porgrammes but belonging to the sectors of works approved in Schedule I of the Act."

2.0 ध्येय :

इस परिपत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना– म.प्र. में उपलब्ध धनराशि के माध्यम से प्रदेश के तालाबों के बंधानों एंव माइनर नहरों के रखरखाव हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

3.0 कार्य क्षेत्र :

इस परिपत्र के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना– मध्य प्रदेश में शामिल सभी जिले होंगे जिसमें स्थित जल संसाधन विभाग की समस्त बृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं की माईनर नहरों के साथ ही कृषि एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित जल संरचनाओं के कमान क्षेत्र में स्थित माइनर नहरों का साधारण रख–रखाब कार्य होगा। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई तालाबों एवं कृषि तथा ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित तालाबों के बंधान का रख–रखाब कार्य होगा।

4.0 कियान्वयन एजेन्सियां :

4.1 इस कार्य हेतु कियान्वयन एजेन्सी ''म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999'' के अंतर्गत गठित संबंधित जल उपभोक्ता संथा तथा अन्य जल संरचनाओं हेतु यह ऐजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत होगी। इन कार्यों के ग्राम पंचायतवार प्रस्ताव संबंधित कियान्वयन एजेन्सी द्वारा बनाये जावेंगे। **जल संसाधन विभाग के अधीन, जल उपभोक्ता संथाओं का सक्षम प्राधिकारी उपयंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संपादित कार्यों के लिए तकनीकि नियंत्रण**

<u>हेतु उत्तरदायी होगा जबकि प्रशासकीय नियंत्रण हेतु मुख्य कार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत, उत्तरदायी होंगे तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नोडल विभाग होगा।</u>

4.2 बंधान/नहर कार्यों के ग्राम पंचायतवार प्रस्ताव, संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा बनाये जावेगें। क्रियान्वयन एजेन्सी को यह कार्य मस्टर रोल लगाकर विभागीय रूप से NREGS की गाइड लाइन के अनुरूप कराना अनिवार्य होगा।

5.0 संकर्म (कार्य) के चयन की प्रकिया :

क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा सुधार कार्यों की दृष्टि से बाँध एवं नहर में उत्पन्न दोषों के निदान के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित चरणों में कार्यवाही की जाकर तदनुसार संकर्म (कार्य) का चयन किया जावे :–

<u>5.1 तालाबों का रखरखाव</u> : क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा संबंधित उपयंत्री सहित ''सहभागिता वाक–थ्रू'' के माध्यम से प्रत्येक वर्षाकाल के पूर्व एवं वर्षाकाल के पश्चात बाँध की भौतिक स्थिति का आंकलन किया जावे।

प्रायः तालाबों के रख–रखाब कार्यों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार सुधार कार्यों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जावे।

- **बाँध के डाउन–स्ट्रीम के ढाल पर सामान्य झाड़ियों की सफाई।**
- **बाँध के टॉप पर सतह का समतलीकरण।**
- **बाँध के टॉप पर कड़ी मुरम फैलाना।**
- **बरसात के कारण बाँध के ढाल में उत्पन्न कटाव को कड़ी मिट्टी से भरा जाना।**
- **बंधान में परिलक्षित दारारों को खोलकर उन्हें फिर से कड़ी मिट्टी से भरना।**
- **बंधान के डाउन–स्ट्रीम पर से यदि कहीं पानी का रिसन हो रहा है अथवा गीलापन परिलक्षित हो रहा है, ऐसी स्थिति में स्थल पर आवश्यकतानुसार मिट्टी हटाकर उक्त दोष के कारणों का पता लगाकर तकनीकी आवश्यकतानुसार मिट्टी/बोल्डर/रेत भरी बोरियों को प्रभावित हिस्से पर रखना।**
- **डाउन–स्ट्रीम के ढाल की धसकी मिट्टी को रूपाकिंत ढाल अनुसार पुनः ठीक करना।**
- **बाँध के डाउन–स्ट्रीम टो से रिसे पानी को निकास नालियों द्वारा एकत्रित कर सुरक्षित करने के परिप्रेक्ष्य में निकास नालियों की साफ–सफाई।**
- **बाँध के डाउन–स्ट्रीम ढाल पर चूहे के बिलों को खोजकर, उक्त बिलों को साफ कर पुनः कड़ी मिट्टी से भरना।**

- **बाँध के अप–स्ट्रीम में ऊबड़–खाबड़ पिंचिंग के पत्थरों को निकालकर फिर से जमाना।**
- **स्लूस द्वार के हिस्सों में ऑयलिंग एवं ग्रीसिंग करना।**
- **वेस्ट वियर से सटे बाँध के क्षतिग्रस्त हिस्से (यदि कोई हो) को रूपाकिंत सेक्शन के आधार पर सुधार करना।**
- **वेस्ट वियर के अप–स्ट्रीम एवं डाउन–स्ट्रीम चैनल में बाहरी मिट्टी/बोल्डर धसकने से अवरूद्ध जलमार्ग को ठीक करना।**
- **वेस्ट वियर के डाउन–स्ट्रीम में स्पिल चैनल की तलहटी की मिट्टी पानी के तेज बहाव से कट जाने की स्थिति में उसका आवश्यक सुधार कार्य।**

5.2 **नहरों का रखरखाव :** क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा संबंधित उपयंत्री सहित ''सहभागिता वाक–थ्रू'' के माध्यम से प्रत्येक फसल सीजन के पूर्व (खरीफ एवं रबी की फसलें) सिंचाई की दृष्टि से नहर प्रणाली की भौतिक स्थिति का आंकलन किया जावे। साथ ही संबंधित उपयंत्री के साथ नहर प्रणाली हेतु प्रावधानित प्रत्येक संरचना यथा एक्वाडक्ट, क्रास ड्रेनेज स्ट्रक्चर, ग्रामीण पुलिया एवं गेट आदि की स्थिति का भी आंकलन किया जावे।

प्रायः नहरों के रख–रखाब कार्यों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार नहर सुधार कार्यों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जावे।

- **नहर की तलहटी से गाद (सिल्ट) निकालना।**
- **नहर की घांस साफ करना।**
- **तटों का सुधार कार्य।**
- **सिंचाई के दौरान, जहाँ–जहाँ छोटी–मोटी नहर टूटी हो, उसका सुधार कार्य।**
- **नहर संरचनाओं में छोटा–मोटा मेसनरी/काँक्रीट का सुधार कार्य**
- **नहरों में यदि लाइनिंग है तो उसका छोटा–मोटा सुधार कार्य।**
- **द्वारों का सुधार कार्य यथा गीयर, द्वारों के स्क्रू की ऑलिंग एवं ग्रीसिंग।**
- **गेट एवं उसको उठानें वाली प्रणाली में पेंटिंग कार्य।**
- **रोड का सुधार कार्य।**

6.0 लक्षित हितग्राही :

इस योजना के निम्न हितग्राही होंगें :

6.1 ग्रामीण क्षेत्र के वे समस्त निवासी जो इन तालाबों में संग्रहीत पानी का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से लाभ लेते हों।

6.2 ऐसी परियोजनाओं में जो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत है, में कमान क्षेत्र के समस्त जल उपभोक्ता जो कि जल उपभोक्ता संथा के सदस्य हैं एवं नहर प्रणाली से सिंचाई हेतु पानी लेते हैं।

6.3 उपरोक्त के अलावा अन्य योजनाओं में जहां ''म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999'' के अन्तर्गत जल उपभोक्ता संथाओं का कार्याधिकार क्षेत्र नहीं है, ऐसी स्थिति में कृषि एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित जल संरचनाओं के कमान क्षेत्रों में सिंचाई के लिये पानी लेने हेतु गठित जल उपभोक्ता समूह के सदस्य जिनमें वे हिताधिकारी सम्मिलित होंगे जो विषयाधीन जल संरचनाओं से सिंचाई हेतु पानी लेकर लाभान्वित होते हों।

7.0 तालाबों के बंधान एवं नहरों के सामान्य सुधार कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार करने की प्रक्रियाः

7.1 सामान्यः बांध एवं नहरों के वार्षिक रख–रखाव कार्यों के प्राक्कलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार किये जावे। चूँकि वित्तीय वर्ष के दौरान किये जाने वाले सम्भावित रख–रखाव कार्यों का पूर्वानुमान लगाया जाना कठिन है, अतः उक्त प्राक्कलन विगत वर्षों के अनुभव तथा मानसून पूर्व एवं मानसून पश्चात् किये गये स्थल निरीक्षण के दौरान परिलक्षित क्षतियों के अवलोकन के आधार पर तैयार किये जावे।

7.2 जल उपभोक्ता संथा के अधीन कार्यक्षेत्र में जल संसाधन विभाग के प्रचलित नियमों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किये जावें जबकि कृषि विभाग के कार्यों हेतु कृषि विभाग के नियमों /मानदण्डों के अनुसार तथा पंचायत कार्यों हेतु मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किये जावे। प्राक्कलन सामान्यतः ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सी एस आर के अनुसार इकाई लागत पर आधारित होगा । किन्तु कोई आईटम ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सी एस आर में प्रावधानित न होने की स्थिति में ऐसे आईटम जल संसाधन विभाग के सी एस आर पर आधारित होंगे। <u>स्थानीय स्तर पर निर्माण स्थल की विशिष्टताओं व तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही चयनित कार्य की इकाई लागत का निर्धारण किया जाये।</u>

7.3 तालाबों के बंधान एवं नहरों के सुधार कार्य हेतु प्रस्ताव को तैयार करने के लिए निम्नानुसार सर्वेक्षण करना चाहिए :

1. वर्तमान बंधान/नहर का एल. सेक्शन जिसमें भूमि का लेवल भी दर्शित हो।
2. प्रत्येक 30 मीटर पर बंधान/नहर का क्रास–सेक्शन लेना।
3. बंधान/नहर के सुधार हेतु जिस क्षेत्र से मिट्टी ली जानी है उन क्षेत्रों को 'बॉरो' क्षेत्र के रूप में चिन्हाकिंत कर ट्रॉयल पिट लें।
4. कमान क्षेत्र में कतिपय स्थानों पर लेवल लिया जाना चाहिए जिससे सिंचाई नहर का अलाईनमेन्ट तथा सैंच्य क्षेत्र सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही नहर का पानी, किस खेत तक पहुंचता है, इसके बारे में कमान क्षेत्र के कृषकों से जानकारी प्राप्त की जावे।

8.0 तालाब के बंधान/नहर का वार्षिक सामान्य सुधार कार्य कराने का समय :

तालाब/नहर का सुधार कार्य सामान्यतः माह मई से जून एवं सितम्बर से अक्टूबर के बीच ही कराया जावे।

9.0 तकनीकि पहलू : बांध एवं नहर के सुधार कार्यों का क्रियान्वयन बोधी (Bureau of Design & Hydel Investigation) द्वारा जारी परिपत्रों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों तथा ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना– मध्यप्रदेश, के अन्तर्गत तालाबों के गहरीकरण (गाद निकालने) व जीर्णोद्धार कार्यो की आयोजना व क्रियान्वयन के सम्बन्ध में'' जारी परिपत्र के अनुरुप किया जावे।

9.1 बाँध की मेढ़ को रूपाकिंत सेक्शन अनुसार रख–रखाव करना : बाँध की मेड़ में प्रयुक्त कच्ची सामग्री (मिट्टी, मुरूम–सॉइल) की गुणवत्ता के अनुसार स्थायी स्लोप में होती है। अतः उस पर कार्य काफी सावधानी से किया जाना आवश्यक होगा। नई मिट्टी मेड़ पर इस प्रकार डालनी चाहिये कि कार्य पूरा होने पर मेड़ के टॉप लेवल के चालू उपयोग में कठिनाई न हो अर्थात निर्मित नयी चौड़ाई पहले की चौड़ाई से कम नहीं होनी चाहिये। पुरानी मिट्टी पर नयी मिट्टी अच्छी पकड़ करे, इसके लिये पुरानी मेड़ पर हल्की सीढ़ीदार छिलाई (बेचिंग) नीचे दर्शाये चित्र के अनुसार की जाकर नयी मिट्टी को 2:1 से कम के ढाल में नहीं डालना चाहिये।

मिट्टी के ढेले तोड़कर धुरमुट से कुटाई करना चाहिये। मिट्टी बेतरतीब नहीं डाली जानी चाहिये। कार्य की प्रगति दिन प्रति दिन स्पष्ट दिखे, इसके लिये मिट्टी एक ओर से दूसरी ओर लगातार डालनी चाहिये।

9.2 नहरों का रख–रखाव कार्य मूलतः नीचे के चित्र में दर्शाये नहरों के प्रमुख लेवल के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए।

9.3 नहरों में जमा हुई गाद की गणना हेतु प्रत्येक 150 मीटर पर अथवा उससे कम दूरी पर क्रास सेक्शन लेवल लिये जावे एवं ग्राफ शीट पर एल. सेक्शन अंकित कर मूल रूपांकित क्रास सेक्शन से तुलना की जावे। कम से कम 50 प्रतिशत लेवल का सत्यापन, सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जावे तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र, नहर के एल. सेक्शन पर हस्ताक्षरित किया जावे। नहर से गाद निकालने का कार्य, सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकि स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् ही प्रारंभ किया जा सकेगा।

9.4 नहर सेक्शन में उगी वनस्पति की सफाई के कार्य में सेक्शन में उगी झाड़ियों को जड़ से उखाड़ना चाहिए। इस कार्य में यदि नहर का सेक्शन खराव होता है तो वहां पर उचित मात्रा में मिट्टी डालकर कुटाई की जानी चाहिए।

10.0 तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया

10.1 तकनीकी स्वीकृति :

7.2 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए तैयार किये गये प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जावे। **मार्गदर्शन हेतु सेंपल प्राक्कलन अनुलग्नक–"अ" अनुसार है। यदि स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर किसी बंधान/नहर विशेष पर सेंपल प्राक्कलन एवं बंधान तथा नहर के वार्षिक रख–रखाब हेतु निर्धारित राशि रूपये 250.0 प्रति हेक्टेयर से अधिक राशि का प्राक्कलन बनता है, तो उसकी स्वीकृति, सक्षम अधिकारी से एक पद उच्च श्रेणी के अधिकारी द्वारा प्रदान की जावे।**

10.2 प्रशासकीय स्वीकृति की प्रकिया :

सभी कियान्वयन एजेन्सियों को राष्टीय ग्रामीण गारंटी योजना के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

जहॉ जल उपभोक्ता संथा कियान्वयन एजेन्सी है, वहॉ उसके अधीन कार्यक्षेत्र में प्राक्कलित राशि का प्रशासकीय अनुमोदन, संबंधित संथा की प्रबंध समिति से लेने के उपरान्त पंचायती राज संस्थाओं से भी प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

अ. कार्यों का शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जाना

प्रस्तवित कार्यों का संबंधित उपयंत्री द्वारा तैयार किया गया परियोजना प्रतिवेदन ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जावेगा। ग्राम पंचायत अपनी बैठक आयोजित कर उक्त प्रस्ताव को

अनुमोदित करेगी। तत्पश्चात प्रस्तावित कार्यों का ग्राम पंचायतवार अनुमोदन जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत से कराया जावेगा। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत का अनुमोदन अनिवार्य होगा। त्रिस्तरीय पंचायत से अनुमोदन के उपरांत लघु सिंचाई तालाबों एवं माइनर नहरों के कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायत के शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा।

ब. प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया जाना :

पंचायती राज संस्था द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा शामिल कार्यों की एकजाई प्रशासकीय स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना– मध्यप्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी।

11.0 स्वीकृत कार्यों के संपादन हेतु राशि उपलब्ध कराना :

ग्राम पंचायत संबंधित प्रस्ताव की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी को आवश्यक राशि उपलब्ध करायेगी।

12.0 निर्माण कार्य का प्रारंभ किया जाना :

12.1 चयनित कार्यों के क्रियान्वयन का प्राथमिकता क्रम संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित करेगी। तथा तत्संबंध में हितग्राहियों के नाम व इनके कार्य का नाम अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगी।

12.2 कंडिका 10.1 में प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं कंडिका 10.2 मे प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार कार्यों का ले आउट संबंधित उपयंत्री द्वारा दिया जावे।

12.3 उपरोक्तानुसार अनुमोदित व प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रियान्वयन संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा कार्य हेतु चयनित निर्माण स्थल पर किया जायेगा। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश एक श्रमोन्मुखी योजना है अतः कार्यो के क्रियान्वयन में मशीन का प्रयोग कदापि न किया जावे।

12.4 कार्यो की प्रगति के अनुपात में संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा बैंक से भुगतान हेतु राशि निकालकर भुगतान किया जावेगा।

13.0 क्रियान्वयन व गुणवत्ता :–

13.1 क्रियान्वयन एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित डिजाईन तथा मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये और तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण हो। कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में किसी भी स्थिति में कोई समझौता न किया जाये। अधूरे कार्य को किसी भी स्थिति में पूर्ण मानकर समाप्त न किया जाये।

13.2 कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के

प्रावधान यथावत लागू होंगे। हितग्राही कृषक भी उसके लिए क्रियान्वित किये जा रहे कार्य की निगरानी कर सकेगा।

13.3 कार्य के पूर्ण होने पर हितग्राही समूह से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिस पर सरपंच तथा संबंधित उपयंत्री कार्य की पूर्णता प्रमाणित कर हस्ताक्षर करेंगे। तदोपरांत यह पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अपने रिकार्ड में संधारित करेगी। कार्य के निर्माण स्थल पर भूमि स्वामी हितग्राही/उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के नाम, कार्य की लागत व आकार अंकित करते हुए एक बोर्ड भी लगाया जायेगा जिस पर कार्य का नाम, कार्य पर व्यय राशि तथा कार्य की पूर्णता दिनांक पेंट से अंकित करेगी।

13.4 संपादित कार्य का विवरण पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में भी अनिवार्यतः दर्ज किया जाये।

13.5 विभाग के आदेश क्र–1688/22/वि–7/छत्म्ळै.ड्च/07, दिनांक 02/07/2007 के अनुसार नस्ती संधारित की जावेगी। इसी प्रकार आदेश क्र.–3665/22/वि–7 /ग्रा. यां.से./06 दिनांक 22.6.2006 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले निर्माण कार्यों का Exit Protocol तैयार किये जाने बाबत् दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप इस परिपत्र के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों का Exit Protocol अनिवार्यतः संधारित किया जाये।

14.0 मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग :–

14.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों में राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत तालाबों के गहरीकरण व जीर्णोद्धार कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्ध क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।

14.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा भी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–म.प्र. के अन्तर्गत तालाबों के गहरीकरण व जीर्णोद्धार से संबंधित कम से कम 20ः कार्यों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

14.3 क्वालिटी मॉनिटर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत तालाबों के गहरीकरण व जीर्णोद्धार के शत प्रतिशत कार्यों की मॉनिटरिंग की जायेगी।

कृपया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत तालाब गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

14.4 ***कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसी तरह के कार्यों की आयोजना एवं क्रियान्वयन के लिये जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कमान क्षेत्र विकास संचालनालय का गठन किया जा चुका है जिसकी संभाग स्तरीय समिति के अध्यक्ष संबंधित संभागीय आयुक्त हैं। अतः सहस्त्रधारा योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए जा रहे कार्यों की स्वीकृति एवं उनकी पूर्णता की जानकारी संभागीय आयुक्त एवं संचालक, राज्य स्तरीय कमान क्षेत्र विकास संचालनालय जल संसाधन विभाग को आवश्यक रुप से प्रदान की जायेगी।***

कृपया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत तालाब गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठ क्र. 4823 **भोपाल, दिनांक 20 / 12 /2007**

प्रतिलिपि :

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3 सचिव, म.प्र. शासन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना म.प्र.।
4 मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एंव विकास आयुक्त
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग